संख्या–400/26–ब0प्र0–2010–6(34)/2006

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

**बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण** लखनऊः दिनांकः 08 जून,2010

**विषयः– उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वतः रोजगार योजना में वर्ष 2010–11 के लिए धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–362/26–ब0प्र0–2010–6(34)/06 दिनांक 28 अप्रैल, 2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु श्री राज्यपाल रू0 8,00,00,000/– (रू0 आठ करोड़ मात्र) की धनराशि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4– प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी और व्यय की गयी धनराशि तथा लाभार्थियों की सूची आदि के सम्बन्ध में अन्य विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)/पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा लाभार्थियों की सूची शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और किसी भी अन्य मद में धनराशि का उपभोग शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा इसके लिए सम्बन्धित जनपदों के जिला प्रबन्धक/ सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

....2...

6— उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध करायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के अध्याय—16—ए के नियम लागू होगें।

7— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—83— समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक—"2225— अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण—आयोजनागत— 01—अनुसूचित जातियों का कल्याण—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना—01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—0106—उ0प्र0अनु0 जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्व रोजगार योजना में अनुदान (100 प्रतिशत भारत सरकार)—20— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामें डाला जायेगा।

8— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या— बी—1—951/दस—2010— 231/2010 दिनांक 26 मार्च,2010 में दिये गये निदेशों/प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भक्तनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या— ५४० (1)/26—ब0प्र0—10—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3— मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4— निदेशक,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5— वित्त(व्यय—नियन्त्रण)अनुभाग—3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता)अनु0 उ0प्र0 शासन।
6— कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव।